न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00406Jodhpur225RTA2018-187 Sukharam etc Vs Doli Banam Mandir shree hanuman G etc

---

01. सुखाराम पुत्र स्व. बीरमराम
02. माधुराम पुत्र स्व. बीरमराम
03. भोराराम पुत्र स्व. बीरमराम
04. पिस्ता पुत्री स्व. बीरमराम

जातियान् कुम्हार, निवासीगण- मादलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

05. सुरेश पुत्र स्व. सुखाराम
06. सुनिल पुत्र स्व. सुखाराम

जातियान् कुम्हार, निवासीगण- मादलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, हाल निवासी- कुम्हारों का बास, अस्पताल के पास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

07. शोभा पुत्री स्व. सुखाराम पत्नी मनीष पुत्र श्री हरदेवराम, निवासी- राईका बाग, हैण्डक्राफ्ट व्यवसाय जोधपुर।
08. हेमा पुत्री स्व. श्री सुखाराम पत्नी राजूराम प्रजापत, निवासी महादेव होटल, बस स्टेण्ड के पास, बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
09. रामेश्वर पुत्र श्री कालूराम
10. पारसराम पुत्र कालूराम

जातियान् कुम्हार, निवासी- मादलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, हाल निवासी- कुम्हारों का बास अस्पताल के पास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

11. जेनकी देवी पत्नी बाबुलाल, जाति जाट
12. सुखदेव पुत्र जालाराम निवासीगण- खारिया अनावास, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
13. पतासी पत्नी अम्बालाल जाति जाट, निवासी- साथीन, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

..... अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

डोली बनाम मंदिर श्री हनुमान जी नाबालिग जरिये वादमित्र

01. हनुमानसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत,
02. शेषाराम पुत्र उदाराम जी जाति माली
03. रामनिवास पुत्र रामचंद्र जाति ब्राहमण
04. मोहनराम पुत्र अनाराम जाति जाट,
05. रूपाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल
06. पपुराम पुत्र जालाराम जाति जाट,
07. अणदाराम पुत्र दलाराम जाति जाट
08. कालूराम पुत्र भेराराम जाति देवासी (फौत होन से नाम समन)
09. सम्पतराम पुत्र देवाराम जाति जाट
10. हरलाल पुत्र चोलाराम जाति जाट(फौत होन से नाम समन)
11. हरदीनराम पुत्र नेनाराम जाति जाट निवासीगण- मालावास, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
12. उपायुक्त, देवस्थान विभाग, नैनीबाई मंदिर, मेड़तीगेट के बाहर, जोधपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर दिनांक 09 अक्टूबर 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 44/2012 हनुमानसिंह व अन्य बनाम बीरमराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित --

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 13

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, पीपाड़ शहर द्वारा पारित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2012 हनुमानसिंह व अन्य बनाम बीरमराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09.10.2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 05 नवंबर 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत पेश कर अपीलांट संख्या 11 से 13 को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत् बंटवाड़ा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 362 रकबा 9 बीघ 11 बिस्वा, खसरा नं. 442 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने तथा विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर 2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर उभय पक्ष को सुनकर अप्रार्थी/अपीलांट्स को दावे के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु पाबंद किया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर जिस तरह का आदेश दिया है वैसा आदेश देने के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय करते समय इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता था। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, वह वाद प्रथमदृष्टया चलने योग्य ही नहीं है। इस कारण ऐसे वाद में कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट को वाद प्रस्तुतीकरण हेतु कोई बिनाय दावा पैदा ही नही हुआ। विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 362 कभी भी किसी मंदिर अथवा डोली की भूमि नहीं रही है, बल्कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही खातेदारी भूमि रही है जो पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त के इन्द्राजों से ही स्पष्ट है। इस कारण उक्त भूमि किसी भी सूरत में डोली की भूमि घोषित नहीं की जा सकती है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी डिक्री जारी करने का कोई अधिकार है। रेस्पोडेंट ने केवल दुर्भावना से प्रेरित होकर वाद पेश किया है, स्वयं रेस्पोडेंट में से कुछ लोग खातेदार पर उसके खातेदारी अधिकारों का उनके पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु दबाव डाल रहे है, जिस हेतु खातेदार सहमत नही हुआ। यह तथ्य पूर्व में नामांतरकरण संबंधी मामले में चली कार्यवाही से ही स्पष्ट था कि रेस्पोडेंट भूमि क्रय करना चाहते थे। नामांतरकरण की कार्यवाही में जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो यह इस तरह का दावा विचारण न्यायालय मे पेश कर दिया एवं न्यायालय ने बिना कोई सोचे समझे अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के इन्ग्रीडीयन्टस अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी सिद्धांतों पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। कानूनन अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी भूमि के रेकर्डेड एवं काबिज खातेदार है, जबकि रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस कारण किसी भी सूरत मे अपीलार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञ जारी नहीं की जा सकती है। मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या 06 से 08 के विरुद्ध अपील में कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है एवं वे अन्य भूमि खसरा नं. 442 के खातेदार है। वर्तमान अपील अपीलार्थी खसरा नं. 362 की भूमि के संबंध में ही पेश कर रहे है, इस कारण अप्रार्थी संख्या 06 से 08 को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमि के खातेदारान् द्वारा खसरा नं. 362 में अपने अधिकारों का हस्तांतरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अपीलार्थी संख्या 11 से 13 के पक्ष में कर दिया गया एवं मौके पर अपीलार्थी संख्या 11 से 13 को काबिज करवा दिया गया जो अपीलाधीन आदेश से व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है तथा अन्य पक्षकारान् के साथ यह अपील माननीय न्यायालय की अनुमति से पेश कर रहे है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 11 से 13 को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 अक्टूबर 2018 को अपास्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स संख्या 11 से 13 को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति का प्रश्न है, अपीलांट्स संख्या 11 से 13 ने पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये विवादग्रस्त भूमि मे क्रेता, हितबद्ध एवं प्रभावित आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। **पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011 से 2031 ग्राम मालावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के खाता संख्या 168 के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 362 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा वक्त सेटलमेंट से चौथा वल्द लिखमा कौम कुम्हार सा. मादलिया खातेदार के नाम से दर्ज है जो खसरा नं. 362 रकबा 9 बीघा**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 बिस्वा वक्त सेटलमेंट से लेकर अद्यतन राजस्व रेकर्ड में चौथा वल्द लिखमा के वारिसान् के नाम से दर्ज है। रेस्पोडेंट्स (वादीगण)का इस भूमि से कोई ताल्लुक मुताबिक राजस्व अभिलेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त खसरा नं. 362 को डोली मंदिर श्री हनुमान जी शाश्वत नाबालिग के नाम से मानकर कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है, जो आदेश राजस्व रेकर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के प्रतिकूल पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु रेस्पोडेंट्स के पक्ष में न होकर रेकर्डेड खातेदार अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं ठहरता है, जिसे यथावत नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर, पीपाड़ शहर द्वारा पारित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2012 हनुमानसिंह व अन्य बनाम बीरमराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09.10.2018 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर